

**ग्राम पंचायत कलिंडा मतियाना, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017**

1 प्रस्तावना:—

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कलिंडा मतियाना, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री तारा चन्द	01.04.2014 से 22.01.2016
2	श्री विक्रान्त धौकरोक्टा	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री जोगिन्द्र लाल	12.9.2008 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:—

ग्राम पंचायत कलिंडा मतियाना के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	6	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.34
2	8	दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान का उपयोग न किया जाना	13.80
3	9	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय किया जाना	2.51
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.29

5	11	क्रय की गई स्थाई एवं अस्थायी मदों की भण्डार रजिस्ट्रों में प्रविष्टि न करना	1.29
6	12	निर्माण कार्य हेतु क्रय किए गए सामान की खपत न किया जाना	0.23

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कलिंडा मतियाना, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 13.9.2017 से 16.9.2017 के दौरान ग्राम पंचायत कलिंडा मतियाना के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03/2015	04/2014
2015-16	01/2016	01/2016
2016-17	05/2016	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत कलिंडा मतियाना, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 546A/2017 दिनांक 16.9.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कलिंडा मतियाना से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत कलिंडा मतियाना द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA & Intergrated Water Shed Project और 14th Finance Commission के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में

लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदनुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में खाता बही (Ledger Accounts) नहीं बनाए गए हैं। खाता बही (Ledger Accounts) नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और स्व स्रोत (Own Sources) की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न "परिशिष्ट-1" पर दिया गया है।

5 (क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना:—

ग्राम पंचायत कलिंडा मतियाना की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज ₹0.16 लाख को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्वः संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की ₹16946 को खाता "क" में अन्तरित नहीं किया गया था। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये, खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	Name of GIA	Amount of Interest Earned
2016-17	14 th FC	16946

6 पंचायत राजस्व की ₹0.34 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:—

पंचायत की स्वः स्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** में दिये गये विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक राजस्व ₹34000 वसूली हेतु शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाये।

7 बजट प्राक्कलन तैयार न करना:—

फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

8 अनुदान की ₹13.80 लाख का उपयोग न करना:—

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्वः स्रोतों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट-3** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक कुल ₹1380322 उपयोग हेतु शेष थे। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹2.52 लाख का अनियमित व्यय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-4"** में दिये गये विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹251866 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण

अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिका एवं अन्य अभिलेख अंकक्षण को आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए, माप पुस्तिका एवं अन्य अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्यों की पूर्ण रूप से जाँच नहीं की जा सकी। अतः निर्माण कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिका इत्यादि अंकक्षण को प्रस्तुत न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जानी सुनिश्चित की जाए। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.29 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकक्षण में पाया गया कि "परिशिष्ट-5" में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹129257 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमिता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि भवन निर्माण सामग्री की खरीद जैसे कि पत्थर की खरीद चट्टे में और रेत की खरीद गाड़ी की संख्या के आधार पर की गई थी। जबकि नियमानुसार इन सभी मदों की खरीद घन मीटर एवं घन फुट में की जानी अपेक्षित थी। अंकक्षण के दौरान खरीद की सामग्री की जाँच नहीं की जा सकी क्योंकि बिलों में खरीदी गई सामग्री की प्रमात्रा नहीं दिखाई गई थी। आगामी अंकक्षण के दौरान खरीदी गई सामग्री की प्रमात्रा दिखा कर माप पुस्तिका अनुसार खपत भी दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाये।

11 क्रय की गई ₹1.29 लाख की स्थाई एवं अस्थायी मदों की भण्डार रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 (1) (a, b, c, एवं d) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना

अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान क्रय की गई ₹129257 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण "परिशिष्ट-6" में दिया गया है, को क्रय करने के उपरान्त भण्डार रजिस्ट्रों में दर्ज नहीं किया गया था, क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किए जाने के कारण क्रय की गई सामग्री की खपत की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः क्रय की गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किए जाने बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 निर्माण कार्य हेतु क्रय किए गए ₹0.23 लाख के सामान की खपत न करना:—

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य से सम्बन्धित व्यय वाउचर व माप पुस्तिका की पड़ताल पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा "परिशिष्ट-7" में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्य हेतु क्रय किए ₹23605 के सामान को न तो निर्माण कार्य हेतु खपत की गई और न ही सामान को स्टॉक रजिस्टर में शेष दर्शाया गया था। जिससे उक्त सामान के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः निर्माण कार्य हेतु क्रय किए ₹23605 के सामान को निर्माण कार्य हेतु खपत न करने व सामान को स्टॉक रजिस्टर में शेष न दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹23605 की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 Integrated Water Shed Development Project के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर लाभार्थियों को वितरित की गई ऋण की ₹0.75 लाख को प्राप्त न करना:—

Integrated Water Shed Development Project के नियमों के अनुसार परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी ग्रुप को ₹25000 प्रति ग्रुप की दर से जीवनज्ञापन हेतु प्रदान की गई थी। इस परियोजना के निर्देशों के अनुसार लाभार्थी ग्रुप द्वारा ऋण की राशि को ऋण देने की तिथि से 15 महीने के अन्दर ग्राम पंचायत में वापिस जमा करवाई जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल 3 लाभार्थी समूहों को ऋण की राशि प्रदान की गई थी। अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया कि वर्तमान समय तक न तो किसी लाभार्थी ग्रुप द्वारा ऋण की राशि को वर्तमान समय तक वापिस नहीं किया गया और न ही इस सन्दर्भ में ऋण वापसी हेतु कोई पत्राचार सचिव ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थी ग्रुप के साथ किया गया था। इस प्रकार परियोजना नियमों की अनदेखी करके लाभ भोगी/लाभार्थी समूहों से ऋण की कुल ₹75000 वर्तमान समय तक वसूली हेतु शेष थी

जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः परियोजना नियमों की अनदेखी करके ऋण की वसूली न करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही वर्तमान समय में इस राशि की वसूली लाभभोगी/लाभार्थी समूहों से की जानी सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Date	Amount	To whom Paid
04.01.2017	25000	Self Help Group Mahila Uthan Nag, Kalinda
04.01.2017	25000	Self Help Group Mahashuari, Kalinda
09.03.2017	25000	Self Help Group Nanni
Total	75000	

14 मानदेय के रूप में ₹800 का अधिक भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62 (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के बदले में मानदेय का भुगतान किया जायेगा, यदि कोई निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं होता तो उसे उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय भुगतान और ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में निर्वाचित सदस्यों को मानदेय का ₹800 का अधिक भुगतान किया गया था। (विवरण निम्न दिया गया है)। अतः बिना सभा में उपस्थिति के निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय के भुगतान की सम्बन्धित सदस्य से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

Excess Payment of Honorarium to Panchayat Members

Name of Member	Date	of Amount paid	Remarks
	meeting for		
	which		
	payment was		
	made		
Sadhana	09-03-2016	200	Not present in Meeting
Krishana	08-04-2016	200	Not present in Meeting
Sadhna	25-04-2016	200	Not present in Meeting
Krishna	09-05-2016	200	Not present in Meeting
Total		800	

15 चौकीदार, सिलाई अध्यापिका एवं अन्यो को किए गए भुगतान के सन्दर्भ में आवश्यक उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि न बनाये जाने बारे:—

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान चौकीदार, सिलाई अध्यापिका एवं अन्यो को किए गए भुगतान की पड़ताल करने पर पाया कि इन सभी कर्मचारियों को मासिक आधार पर भुगतान किया गया था। परन्तु जिस अवधि के लिए भुगतान किया गया था उस अवधि का उपस्थिति रजिस्टर नहीं बनाया गया था जिसके कारण इस सभी कर्मचारियों को किए गए भुगतान की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

16 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते (Ledgers)	7	29 (1)
6	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29 (4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	62 (2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72 (1) (a & b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95 (1)

17 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 विविध अनियमितताएं:—

(क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना:—

ग्राम पंचायत कलिंडा मतियाना द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अन्त में रोकड़ बही में हस्तगत राशि के साथ सम्बन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अतः सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए जाने बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म-7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अतः नियम 29 (1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म-8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म-8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय का बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अतः नियम 29 (4) के अनुसार वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट

की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत कलिंडा मतियाना द्वारा नहीं बनाई गई थी। अतः नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(ङ) ग्राम पंचायत की आय से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत कलिंडा मतियाना द्वारा आय संग्रह के लिए रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं? अतः आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

(च) मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेखों की अंकक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान मनरेगा से सम्बन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। अतः उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

19 **लघु आपत्ति विवरणिका:**— लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

20 **निष्कर्ष:**— लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं०-0177 2620881

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल०ए०)एच(पंच)15(i) 73/2017-खण्ड-1-6852-6855 दिनांक 21.11.2017 शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत कलिंडा मतियाना, विकास खण्ड ठियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, (हि०प्र०), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि०प्र०
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ठियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि०प्र०

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं०-0177 2620881